नगर निगम, पंचकूला

दूरभाष नम्बर 0172–2583695, 2583794
Email- mcpanchkula@gmail.com

संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) हेतू सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, पंचकूला की सीमा के अन्तर्गत आने वाली सभी प्रकार की कर योग्य भूमि एवं भवनों के जिन मालिकों ने वर्ष 2010–11 से 2012–13 तक का संपत्ति कर अदा नहीं किया है उनको 2010–11 से 2012–13 तक का देय संपत्ति कर दिनांक 31.08.2015 तक एकमुश्त अदा करने पर तीस (30) प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी ।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015–16 का संपत्ति कर भी 31.08.2015 तक अदा करने पर दस (10) प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी । सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या 14/6/2015-3CII, दिनांक 29 जून, 2015 विभाग की वैबसाइट **mcpkl.ulbhry.org** पर उपलब्ध है।

अतः नगर निगम, पंचकूला के समस्त वासियों को परामर्श दिया जाता है कि वे देय संपत्ति कर दिनांक **31.08.2015 तक स्थानीय बैंक के चैक के माध्यम से जमा करवा कर सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाएं** । अगर कोई भवन एवं भू–स्वामी अपना देय संपत्ति कर समय पर जमा नहीं करवाता है, तो उस के विरूद्ध नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 95 एंव धारा 130 के अन्तर्गत कार्यवाही करके देय कर वसूल किया जाएगा । भवन एवं भू–स्वामी नगर निगम कार्यालय में आकर स्थानीय बैंक के चैक के माध्यम से या निम्नलिखित बैंकों में अपना संपत्ति कर जमा करवा सकते हैं –

1. HDFC Bank, Sector -9, Panchkula.
2. Axis Bank, Sector -20, Panchkula.
3. ICICI Bank, Sector -11, Panchkula.
4. Central Bank of India, Sector -10, Panchkula.
5. Oriental Bank of Commerce, Sector -11, Panchkula.
6. Industrial Bank, Sector-11, Panchkula.
7. IDBI Bank, Sector -11, Panchkula.
8. IDBI Bank, Sector- 20, Panchkula.
9. IDBI Bank , MDC, Sector-5, Panchkula.

नोटः– **चैक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से संपत्ति कर जमा नहीं किया जाएगा ।**

–हस्ता–
आयुक्त,
नगर निगम, पंचकूला ।